

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th March, 2000

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

S.O. (E) - Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause(iii) of sub-section(4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Commerce (Department of Industrial Policy and Promotion) vide S.O.1201(E), dated the 1st December, 1999 for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002;

And, whereas, M/s Western India Kinfra Limited, Palakkad, having its registered office at Kinfra House, TC No. 14/1026, Vallayambalam, Trivendrum-695 010, has developed, maintains and operates an industrial park which is defined as an infra-structural Activity under the Income Tax Act, 1961.

And, whereas, the Central Government has approved the said Industrial Park subject to certain terms and conditions mentioned in the schedule to this notification;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies an undertaking developed and being maintained and operated by M/s International Tech Park Limited, as an industrial park for the purposes of the said clause(iii).

SCHEDULE

The terms and conditions on which the approval of the Central Government has been accorded for setting up of an industrial park by the M/S. Western India Kinfra Limited, Palakkad, Kerala.

1. (i) Name of the Promoter/Industrial Undertaking : M/s. Western India Kinfra Limited
- (ii) Proposed location : Address: Wise Park Puthussery
Central village, New Industrial
Development Area,
Kanjikode(P.O)

Distt : Palakkad
State : Kerala
Pin Code: 678007
- (iii) Proposed area of Industrial Park : 750 Acres.
- (iv) Proposed activities : National Industrial Classification 1987 Code

Section 2&3 (division 20-39),
Section 4 (division 40-43), Section 6
(division 60-69), , Section 7 (div 75 only) and
Section 8 (Group 892, 893, 894 & 895).
- (v) Percentage of allocable area proposed for industrial use : 66.67%
- (vi) Percentage of land ear-marked for commercial use. : 10%
- (vii) Proposed No. of industrial units : 330 units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 58.0142 Crores
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amounts in Rupees). : Nil
- (x) Investment on Infrastructure Development (Amount in Rupees) : 41.1738 Crores

area, which is available for allocation for industrial, commercial or residential purpose and will exclude such area as is used for provision of common facilities like power, telecom, roads, green belt. In case of an Industrial Park which is making available the built up space, the allocable area will mean the net floor area which is available for allocation and will exclude the built up space used for locating common facilities like air-conditioning and other telecommunication installations, etc.

3. Industrial use shall include any activity defined in the National Industrial Classification 1987 code except the following codes:

Section 0	Section 8 excluding Group 892, 893, 894, 895
Section 1	Section 9
Section 5	Section X
Section 7	Section XI
excluding	
Division 75	

4. The percentage of land to be earmarked for commercial use shall not be more than 10 percent of the allocable area.
5. In case of an Industrial Model Town and Industrial Park, the minimum investment on infrastructure development shall not be less than 50 percent of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60 percent of the total cost.
6. Infrastructure development shall include expenditure on common facilities like roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, generation and distribution of power for use of the units to be located in the Industrial Model Town / Industrial Park, telecom network etc. and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.
7. No single unit in any project shall occupy more than 50 percent of the allocable industrial area of an Industrial Model Town/ Industrial Park. For this purpose a unit means a separate taxable entity.
8. Necessary approvals including that for Foreign Direct Investment/ Non-Resident Indian Investment by the Foreign Investment Promotion Board/Reserve Bank of India, shall be taken separately as per the policy and procedure in force.

... Central Village Development area Kanjikkode(P.O.) Palakkad,
Kerala shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the
benefits under section 80IA of the Income-tax Act are to be availed.

10. The Central Government may withdraw the above approval in case the International Tech Park, Whitefield Road, Bangalore fail to comply with any of the conditions state above.
11. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection, in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.



(MONA M. VERMA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Notification No. | 29 |

(P.NO. 178/19/2000-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28th मार्च, 2000

अधिसूचना

आयकर

का०आ० १०४- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 का 43 की धारा 80 बक की उपधारा 4 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1997 को आरंभ अधि और 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अधि के लिए वाणीज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और सर्वजन विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना का०आ० 120 अधि दिनांक 1 दिसम्बर, 99 द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक स्कीम निर्मित और अधिसूचित की गई है।

और जबकि मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया किन्फ्रा लि० प्रजक्काड, जिसका पंजीकृत कार्या किन्फ्रा हाउस, टी सी नं० 14/1026, तलायस्वलयम, त्रिवेन्द्रम-695 010 में है, ने औद्योगिक पार्क का विकास किया है और उसका रख-रखाव और प्रचालन कर रहा है

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन उपर्युक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 80 बक की उपधारा 4 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया किन्फ्रा लिमिटेड द्वारा विकसित और सुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त खंड के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

वे नियम व शर्तें जिन पर मैसर्स वेस्टन इण्डिया किनफ्रा लि० पलक्काड/द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

§ i § प्रवर्तक/औद्योगिक उपक्रम का नाम	मैसर्स वेस्टन इण्डिया किनफ्रा लि
§ ii § प्रस्तावित स्थान	पता- वाइज पार्क पंडुसेरी सेन्ट्रल गावि-न्या औद्योगिक विकास क्षेत्र कान्जीकोड/डाक्खर जिला-पलक्काड राज्य-केरल पिनकोड-678007
§ iii § औद्योगिक पार्क का प्रस्तावित क्षेत्र	750 एकड़
§ iv § प्रस्तावित कार्यकलाप:	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-1987
	कोड:
	धारा 2 व 3 प्रभाग-20-39 धारा
	4 प्रभाग-40-43, धारा-6
	प्रभाग 60-69 धारा 7 व धारा 8
	प्रभाग 75 केवल और धारा 8
	ग्रुप- 892, 893, 894 और 895 केवल
§ v § औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आवंटनीय क्षेत्र	66.67%
§ vi § वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	10%
§ vii § औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या	330 यूनिट
§ viii § प्रस्तावित कुल निवेश राशि रुपये में	58.0142 करोड़
§ ix § औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश राशि रुपये में	शून्य
§ x § अवसर वनात्मक विकास पर निवेश राशि रुपये में	46.1738 करोड़

2. औद्योगिक प्रयोग के लिए आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र की न्यूनतम प्रतिशतता कुल आवंटनीय क्षेत्र के 66% से कम नहीं होगी। आवंटनीय क्षेत्र का अर्थ कुल क्षेत्र से है, जो औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा आवासीय उद्देश्य के संक्षेप में आवंटन के लिए उपलब्ध है तथा इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जिन्हें विद्युत दूरसंचार सहकों, हरी पट्टी जैसी सामान्य सुविधाओं के प्राधान्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी औद्योगिक पार्क के मामले में जो निर्मित स्थान उपलब्ध करा रहा है, आवंटनीय क्षेत्र का अर्थ किसी शुद्ध तल क्षेत्र से है जो आवंटन के लिए उपलब्ध है और इसमें वातानुकूलन और अन्य दूरसंचार संस्थापनाओं जैसी सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयोग में लाए गए निर्मित स्थान शामिल नहीं होंगे।
3. निम्नलिखित कोडों को छोड़ राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1987 कोड में परिभाषित किसी कार्यकलाप में औद्योगिक उपयोग को शामिल किया जाएगा।
- | | |
|--------|--|
| धारा 0 | धारा 8 मुपा 892, 893, 894, 895 को छोड़कर |
| धारा 1 | धारा 9 |
| धारा 5 | धारा * |
| धारा 7 | धारा *। |
- प्रमाण 75 को छोड़कर।
4. वाणिज्यिक उपयोग के लिए चिन्हित की जाने वाली भूमि की प्रतिशतता आवंटनीय क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
5. औद्योगिक माहल टाउन तथा औद्योगिक पार्कों के मामले में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश पूरा परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होना चाहिए। किसी औद्योगिक पार्क की परियोजना के मामले में जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान की व्यवस्था करती है, औद्योगिक स्थान के निर्माण की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम व्यय कुल लागत के 60% से कम नहीं होना चाहिए।
6. अवसंरचना विकास में औद्योगिक पार्क, दूरसंचार नेटवर्क में संस्थापित की जाने वाली यूनिटों के लिए सहकों प्रमुख माली सहित कुल आपूर्ति और सीवरेज, सामान्य निस्तारी अभिप्राय विद्युत का उत्पादन एवं वितरण जैसी सामान्य सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं और औद्योगिक कार्यकलाप, जो अभिनियमन योग्य हैं के सामान्य उपयोग के लिए हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं, पर व्यय शामिल होगा।
7. किसी परियोजना में कोई एक यूनिट किसी औद्योगिक माहल टाउन/ औद्योगिक पार्क के आवंटनीय औद्योगिक क्षेत्र के 50% से अधिक क्षेत्र का कब्जा नहीं करेगी।

- 89 विदेश निवेश संदर्भ बोर्ड/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/ अनिवासी भारतीय निवेश सहित नीति और लागू प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक अनुमोदन अलग-अलग लिए जायेंगे।
- 90 वाइज पार्क, पुडुचरी सेंट्रल विलेज, विकास क्षेत्र कांजीकोड [डा. घर] पालाकांड, केरल उस अधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रहेगा जिसे आय कर अधिनियम की धारा 80 तक के अन्तर्गत लाभों को प्राप्त किया जाना है।
- 103 यदि वाइज पार्क, पुडुचरी सेंट्रल विलेज, हवलपमेट सीरया, कांजीकोड, [डा. घर] पालाकांड, केरल उपर्युक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है तो केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापिस ले सकती है।
- 110 केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की स्थरेखा में कोई संशोधन करने अथवा आवेदक द्वारा किसी वस्तुगत तथ्य का प्रकलन करने पर भविष्य में पता लगने पर औद्योगिक पार्क का यह अनुमोदन निरस्त हो जाएगा।

अधिसूचना संख्या: 1129।

मोना वमा
[मोना वमा]
[मोना वमा]
अवर सचिव, भारत सरकार

मा.सं. 178/19/2000-आयकर नि.।।

सेवा में,

मुख्य,
भारत सरकार प्रेस,
रिया रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
[राजोरी गार्डन के पास] नई दिल्ली।